144

अ.ग -1712- I2-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

(1) द्रोपदी बाई वैवा रामचन्द्र,
(1) हरिमोहन पुत्र श्री हजारी,
निवासीगण– ग्राम मण्डला, तहसील बडौदा, जिला – श्योपुर (म.प्र.)
–– आवेदकगण

विरूद्ध

मंध्य प्रदेश शासन, द्वारा – कलेक्टर, जिला – श्योपुर (म.प्र.)
–– अनावेदक

न्यायालय तहसीलदार बडौदा, जिला श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2011–12/अ–3 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 एवं 20.07.2014 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा दिनांक 02.04.2014 को ग्राम मूडला में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 174 मि–2 रकवा 1.045 हैक्टेयर एवं भूमि सर्वे क्रमांक 174 मि–4 रकवा 0.585 हैक्टेयर के बंटाकन हेतु संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2011–12/अ–3 पर पंजीबद्ध किया जाकर इश्तहार जारी किया एवं ग्राम पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया। इस द्वौरान प्रकरण में विभिन्न कार्यवाहियॉ करते हुए आवेदकगण से साक्ष्य की तौर पर मूल पट्टे की फाईल व अन्य कृषकों के कथन करवाये गये तथा शासकीय संस्था म0प्र0 वेयर हाउसिंग लिमिटेड के प्रबंधक को भी पत्र दिनांक 17.01.2014 को जारी कर बंटाकन हेतु सहमति दे दी गयी, इसके पश्चात् आदेश पत्रिका दिनांक 13.02.2014 को स्थल निरीक्षण हेतु नियत किया गया तत्पश्चात् दिनांक 14.03.2014 को स्थल निरीक्षण भी कर लिया गया अर्थात प्रकरण में सम्पूर्ण बांछित कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी थी तथा प्रकरण निरीक्षण प्रतिवेदन हेतु नियत किया गया इसके उपरांत आदेश पत्रिका दिनांक 26.03.2014 एवं 22.03.2014 पीठासीन अधिकारी महोदय, लोक सभा निर्वावन एवं गेहूं उपार्जन में व्यस्त बताकर आगामी तिथि दिनांक 01.05.2014 को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लंगतो हुए आवेदकगण के पट्टे निरस्त करने का प्रस्ताव बनाकर अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष आगामी कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रेषित कर दिया, जिसकी जानकारी पक्षकार को नहीं दी गयी तथा अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर द्वारा बंटन

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1712/एक/2016 जिला-श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
23-6-16	यह निगरानी आवेदक द्वारा तहसीलदार बडौदा जिला श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 07/2011-12/अ-3 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 एवं 20.07.2014 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2- प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदकगण द्वारा ग्राम मुडला में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 174 मि. 2 रकवा 1.045 है0 एवं भूमि सर्वे क्रमांक 174 मि.4 रकवा 0.585 है0 के बंटाकन हेतु संयुक्त रूप से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पत्र को तहसील न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध कर ग्राम पटवारी से प्रतिवेदन लिया गया इस दौरान कार्यवाही करते हुये आवेदकगण से साक्ष्य की तौर मूल पट्टे के दस्तावेज तथा अन्य कृषकों के कथन करवाये गये तथा शासकीय संस्था म.प्र. बेयर हाउसिंग लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा दिनांक 17.01.2014 बंटाकन हेतु सहमति दी गयी इसके पश्चात् स्थल निरीक्षण हेतु प्रकरण नियत किया गया इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी।	

इसी बीच आगामी तिथि दिनांक 01.05.2014 को स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लगाते हुये आवेदकगण के पट्टे को निरस्त करने का प्रस्ताव बनाकर अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर को प्रेषित किया गया। तथा अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर द्वारा बंटन निरस्त करने हेतु प्रकरण स्वमेव निगरानी में लेने हेतु प्रस्ताव भेजा जाये इसका उल्लेख आदेश पत्रिका दिनांक 01.07.2014 में किया गया। प्रकरण में पट्टे निरस्त करने का प्रस्ताव भेजने के निर्देश के साथ तहसीलदार बडौदा की और भेज दिया गया उक्त कार्यवाही में किसी भी प्रकार का पक्ष रखने का अवसर आवेदक को नही दिया गया। अतः इसी कार्यवाही से व्यथित होकर आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष वर्तमान पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।

3- निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4- आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही नितान्त अवैध है क्योंकि प्रकरण बंटाकन हेतु प्रस्तुत किया गया था जिसकी समस्त कार्यवाही हो चुकी थी तथा साक्ष्य के तौर पर सहखातेदारो के कथन करवाये जा चुके थे पीठासीन अधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण भी किया गया था एवं शासकीय संस्था बेयर हाउस कॉर्पोरेशन के प्रबंधक द्वारा बंटाकन में सहमति दी गयी थी ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा बंटाकन कार्यवाही न की जाकर पट्टा निरस्ती की जो कार्यवाही प्रांरभ की है वह अपास्त किये जाने योग्य है। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5– अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में मुख्य रूप से उल्लेख किया है कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण में पट्टा निरस्ती किये जाने की जो कार्यवाही प्रारंभ की गयी है उसमें आवेदक को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा ऐसी स्थिति में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6– उभय पक्षों द्वारा किये गये तर्को एवं प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के समक्ष भूमि के बंटाकन के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ की गयी थी जिसके संबंध में शासकीय संस्था म.प्र. बेयर हाउसिंग लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा अपनी सहमति दी गयी थी तत्पश्चात् स्थल निरीक्षण किया जाकर गवाहो के कथन लिये गये थे ऐसी स्थिति में प्रकरण में बंटाकन कार्यवाही न की जाकर पट्टे निरस्त करने की कार्यवाही प्रांरभ कर दी गयी है जो विधि एवं प्रक्रिया के पूर्णतः विपरीत है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार बडौदा द्वारा प्रकरण में जो कार्यवाही की जा रही है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार बडौदा जिला

	श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 07/2011-12/अ-3 में पारित आदेश दिनांक 01.05.2014 एवं 20.07.2014 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाते है एवं निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त भूमि के संबंध में बंटाकन की कार्यवाही आगामी तीन माह में विधिवत् रूप से करें। सदस्य	